अधिहरण वाद संख्या-93/2018-2019

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) श्री अज्ञात .... विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019		

इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन पत्रांक 1699/हि0शा0, दिनांक 05.10.2018) के आलोक में कुर्साकांटा थाना कांड संख्या-44/18, दिनांक 19.02.2018, धारा-30(क) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त हीरो ग्लैमर मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38M-1059, चेचिस नं0-MBLJA06A MG9F 017 54, ईंजन सं0-JA06EJG9F01825 को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। कुर्साकांटा थाना कांड संख्या-44/18, दिनांक 19.02.2018 के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त-1. अज्ञात के विरूद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

(2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना।

(3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि सहायक अवर निरीक्षक, नागेन्द्र कुमार सिंह दिनांक 19.02.18 को समय 02.00 बजे होमगार्ड जवान 1. 400384 परमेश्वर 2. 400308 तारकेश्वर मंडल 3. 401688 खेव नरायण 4. 400232 जगर नाथ प्रसाद राय के साथ रात्री गश्ती व शराब बरामदगी हेतु छापामारी में सरकारी वाहन से प्रस्थान किया। गश्ती करते हुए समय 7.00 बजे सुबह मेंहदीपुर हनुमान मंदिर चौक कुर्साकांटा पहुँचा। उसी दौरान आप पगडेरा की तरफ से मोटर साईकिल से आ रहे थे। मेंहदीपुर हनुमान मंदिर चौक पर पहुँचते ही आप पुलिस को देखकर मोटर साईकिल हनुमान मंदिर चौक पर छोड़कर भागने में सफल हो गये, वहाँ उपस्थित व्यक्ति 1. सुभाष पाण्डेय, पे0-स्व0 गणेश पाण्डेय 2. शम्भू पाण्डेय, पे0-स्व0 राजेन्द्र पाण्डेय, दोनों सा0-मेंहदीपुर, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया के समक्ष छोड़े गये हिरो गलैमर मोटर साईकिल पंजियन संख्या- BR-38M-1059 के सीट पर बंधे लाल चेकशर गमछा में बंधा हुआ कुट के कार्टुन का तलाशी लिया तो उसमें से 300 एम0एल0 के बोतल के कुलः 18 बोतल नेपाली दिलवाले देशी शराब कुल मात्रा 5.400 लीटर बरामद हुआ। ग्लैमर मोटर साईकिल पंजियन संख्या-BR-38M-1059 को विधिवत् जब्ती सूची तैयार कर विधिवत् जब्त किया गया।

बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप आपके विरूद्ध कुर्साकांटा थाना कांड संख्या-44/18, दिनांक 19.02.2018, धारा-30(क) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया तथा आपको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019		

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त हीरो ग्लैमर मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त हीरो ग्लैमर मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त हीरो गलैमर मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।

(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त हीरो ग्लैमर मोटर साईकिल का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त हीरो ग्लैमर मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-56(घ) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार कुसाकांटा थाना कांड संख्या-44/18, में जब्त हीरो ग्लैमर मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38M-1059, चेचिस नं0-MBLJA06A MG9F 017 54, ईजन सं0-JA06EJG9F01825 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात** किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1084/विधि, अररिया, दिनांक 31.5./2019

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया

25-5-2019

जिला दंडाधिकारी का न्यायालय अररिया (बिहार)